International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

"एक राष्ट्र, एक चुनाव: भारतीय लोकतंत्र की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम"

मीनू सिंह सोलंकी
शोधार्थी, समाजशास्त्र
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्राप्त है। देश में वर्तमान समय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाते हैं। इससे न केवल आर्थिक और मानव संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, बल्कि यह प्रशासनिक स्थिरता, नीति निर्माण और विकास कार्यों को भी प्रभावित करता है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation One Election) की अवधारणा इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यह शोधपत्र इस प्रस्तावित प्रणाली के ऐतिहासिक विकास, कानूनी ढांचे, लाभ, चुनौतियाँ, और वैश्विक उदाहरणों सहित इसके संभावित प्रभावों की व्यापक समीक्षा करता है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव की परिभाषा:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" से अभिप्राय है कि भारत में लोकसभा (संसद) और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएँ। यह प्रणाली इस उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है कि देश में बार-बार चुनाव कराने की आवश्यकता समाप्त हो और एक संगठित, सुसंगत एवं व्यय-कुशल प्रणाली लागू की जा सके। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता और नीति-निर्माण में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

भारत में 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ, तब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। यह परंपरा 1967 तक कायम रही। इसके पश्चात, कुछ राज्य सरकारों के कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गए, और इस प्रकार चुनावों का चक्र असमान हो गया। विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद आपातकाल और राजनीतिक अस्थिरता ने इस प्रणाली को और अधिक जटिल बना दिया।

भारत में वर्तमान चुनाव प्रणाली:

भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जो चुनाव प्रक्रिया का संचालन करती है। हर पाँच वर्ष में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाते हैं। परंतु कई बार मध्यावधि चुनावों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे चुनावी चक्र बाधित होता है।

परिचय:

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

"One Nation, One Election" (एक देश, एक चुनाव) की अवधारणा का सामाजिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह नीति भारत में एक साथ सभी चुनावों (केंद्र, राज्य और स्थानीय) को एक ही समय पर आयोजित करने का प्रस्ताव देती है। इसे लागू करने से सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई प्रभाव हो सकते हैं।

1. राजनीतिक स्थिरता:

- **सामाजिक दृष्टिकोण:** यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो चुनावों के समय में होने वाली निरंतर राजनीतिक गतिविधियाँ और संघर्षों से राहत मिल सकती है। इससे समाज में एक स्थिर वातावरण बन सकता है, जिसमें विकास और अन्य सामाजिक गतिविधियाँ बिना किसी विघ्न के चल सकती हैं।
- इससे विभिन्न समुदायों के बीच एक समान ध्यान और संसाधनों का वितरण हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल एक साथ चुनावी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

2. चुनावों की उच्च लागत:

- **सामाजिक प्रभाव:** चुनावों का खर्च कम करने की यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी हो सकती है। यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो हर चुनावी प्रक्रिया का खर्च साझा हो सकता है, जिससे सरकार का बजट भी बच सकता है। यह आम नागरिकों पर करों के बोझ को कम कर सकता है।
- इससे चुनाव प्रचार की कड़ी प्रतिस्पर्धा और एक के बाद एक चुनावों के कारण होने वाले सामाजिक तनावों में भी कमी आ सकती है।

3. सामाजिक ताने-बाने में सुधार:

- **सामाजिक समरसता:** एक साथ चुनाव होने से विभिन्न राज्य और केंद्र की राजनीति को समझने में जनता को सरलता हो सकती है। इससे किसी एक पार्टी की असमान बढ़त को रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि लोग एक ही समय में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विचार कर सकते हैं, जिससे सामाजिक दृष्टिकोण से सामूहिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।
- यह प्रक्रिया वोटरों को राजनीति से ज्यादा जुड़ने का अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक साक्षरता में वृद्धि हो सकती है।

4. विकास कार्यों में स्थिरता:

- **सामाजिक प्रभाव:** चुनावों के बार-बार होने से विकास कार्यों में रुकावट आ सकती है। यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ स्थिर रह सकती हैं, क्योंकि बार-बार सत्ता परिवर्तन के कारण होने वाली अनिश्चितता कम हो जाएगी।

- इससे समाज में विकास कार्यों के प्रति विश्वास बढ़ सकता है और सामाजिक विकास की दिशा में निरंतरता बनी रह सकती है।

5. सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व:

- **चुनावों के दौरान सामुदायिक चिंताएँ:** भारत की विविधता और विभिन्न समाजों की विशिष्टताएँ "एक देश, एक चुनाव" प्रणाली को लागू करते समय एक चुनौती हो सकती हैं। राज्य और स्थानीय मुद्दों को दबाया जा सकता है, क्योंकि सभी चुनाव एक साथ होंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इससे कुछ समाजों और क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज करने का खतरा हो सकता है, जो समाज में असंतोष पैदा कर सकता है।

6. सामाजिक भागीदारी और जागरूकता:

- **सामाजिक अवबोधन:** एक साथ चुनावों के कारण मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ सकती है, क्योंकि लोग समझ सकते हैं कि एक साथ सभी चुनावों में शामिल होना उनके लिए एक बड़ा अवसर है।
- लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि चुनावी प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी हो, ताकि किसी भी समूह को अपने अधिकारों से वंचित न किया जाए।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ:

1. **आर्थिक बचत:**
    - अलग-अलग चुनावों में सरकारी खजाने से भारी व्यय होता है। उदाहरण के तौर पर, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग ₹60,000 करोड़ का खर्च आया। यदि एक साथ चुनाव कराए जाएँ, तो इस व्यय में भारी कटौती संभव है।
    - राजनीतिक दलों को भी बार-बार चुनाव प्रचार में व्यय नहीं करना पड़ेगा। इससे चुनावों को अधिक ईमानदार और सुलभ बनाया जा सकता है।
2. **प्रशासनिक सुविधा:**
    - चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और सुरक्षाबल तैनात किए जाते हैं। एकसाथ चुनाव कराकर इन्हें अपनी नियमित ड्यूटी में लगाया जा सकता है।
    - स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थान जो चुनावी प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, उनका व्यवधान भी कम होगा।
3. **राजनीतिक और नीति स्थिरता:**
    - लगातार चुनावी आचार संहिता लागू रहने से सरकारें दीर्घकालिक निर्णय नहीं ले पातीं। एक साथ चुनावों से नीतिगत कार्यों में निरंतरता बनी रह सकती है।
4. **विकास कार्यों में तेजी:**
    - बार-बार की चुनावी घोषणाओं और आचार संहिता से विकास परियोजनाएँ प्रभावित होती हैं। एक चुनाव प्रणाली से विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी।
5. **मतदाता की सुविधा:**

- मतदाता को बार-बार मतदान केंद्रों पर जाकर वोट देने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि की संभावना है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव की चुनौतियाँ:

1. **संविधानिक एवं कानूनी जटिलताएँ:**
   - संविधान के अनुच्छेद 83(2), 172(1), 356 आदि में संशोधन आवश्यक होगा। यह एक दीर्घ प्रक्रिया है, जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत और कई राज्यों की सहमति आवश्यक होगी।
2. **राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न:**
   - संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्वतंत्र रूप से अपने चुनाव आयोजित कर सकते हैं। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रणाली को संघीय ढांचे में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है।
3. **राजनीतिक सहमति की आवश्यकता:**
   - विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना अत्यंत कठिन है, विशेषतः जब इसे किसी दल विशेष के लाभ की दृष्टि से देखा जाता है।
4. **तकनीकी और लॉजिस्टिक बाधाएँ:**
   - भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त EVMs, VVPATs, प्रशिक्षित कार्मिकों, मतदान केंद्रों आदि की व्यवस्था करना अत्यंत जटिल कार्य है।
5. **आपात परिस्थितियाँ:**
   - यदि किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाती है या कोई आपदा आ जाती है, तो मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में क्या पूरे देश में चुनाव कराना आवश्यक होगा या केवल उस राज्य में? यह एक गंभीर प्रश्न है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और तुलनात्मक अध्ययन:

1. **अमेरिका**
   - अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, प्रतिनिधि सभा, सीनेट और कुछ राज्यों के गवर्नर चुनाव एक ही दिन (नवंबर के पहले मंगलवार) को होते हैं। यह प्रणाली मतदाता की अधिक भागीदारी, प्रचार व्यय में कटौती और स्पष्ट जनादेश को बढ़ावा देती है। भारत को यहाँ से यह सीख मिल सकती है कि कैसे संघीय प्रणाली में भी समन्वित चुनाव संभव हैं।
2. **इंडोनेशिया**
   - 2019 में इंडोनेशिया ने अपने राष्ट्रपति, संसद और स्थानीय निकाय चुनाव एक ही दिन कराकर इतिहास रच दिया। वहाँ 800,000 मतदान केंद्रों पर लगभग 200 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया। यद्यपि लॉजिस्टिक समस्याएँ सामने आईं, फिर भी इसे लोकतंत्र की सशक्तता का उदाहरण माना गया।
3. **दक्षिण अफ्रीका**
   - दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों चुनाव हर पाँच वर्षों में एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं। वहाँ के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद प्रभावशाली है, जिससे पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित होता है।

4. **स्वीडन**
    - स्वीडन में रिक्सडैग (संसद), काउंटी और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव हर चार वर्षों में सितंबर महीने के दूसरे रविवार को एक साथ कराए जाते हैं। इससे मतदाता भागीदारी और प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित होता है।
5. **बेल्जियम**
    - बेल्जियम में फेडरल, रीजनल और यूरोपीय संसद के चुनाव एक ही दिन कराए जाते हैं, जिससे सरकारी संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। यह प्रणाली स्थायित्व को बढ़ावा देती है।

भारत के लिए सबक:

भारत इन देशों से यह सीख सकता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट कानूनी ढाँचा और चुनावी संस्थानों की मजबूती से एक साथ चुनाव संभव हैं। भारत का आकार, जनसंख्या और विविधता एक चुनौती है, लेकिन चरणबद्ध प्रयास और तकनीकी नवाचार से यह बाधा पार की जा सकती है।

संभावित समाधान और सुझाव:

1. **पायलट प्रोजेक्ट:**
    - शुरुआत में कुछ राज्यों में एक साथ चुनाव कराकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी व्यवहार्यता परखनी चाहिए।
2. **संवैधानिक समीक्षा आयोग:**
    - एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर संविधानिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर एक ठोस रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।
3. **प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग:**
    - EVM और VVPAT जैसी तकनीकों को बेहतर बनाकर और डिजिटल वोटिंग प्रणाली पर विचार करके तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सकता है।
4. **जनभागीदारी और परामर्श:**
    - इस विषय पर व्यापक जनमत संग्रह, नागरिक संगठनों की सहभागिता और सभी पक्षों से संवाद स्थापित कर निर्णय लिया जाए।

निष्कर्ष:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारतीय लोकतंत्र की एक साहसिक और दूरदर्शी पहल हो सकती है, जो संसाधनों की बचत, नीतिगत स्थिरता और सुशासन को बढ़ावा देती है। हालाँकि इसके सामने कई कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं, परंतु यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, जन समर्थन और रणनीतिक योजना के साथ इसे लागू किया जाए, तो यह भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता और दक्षता में क्रांतिकारी सुधार ला सकती है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर न केवल विचार करना आवश्यक है, बल्कि समुचित योजना के साथ इसे लागू करना भी समय की माँग है।

संदर्भ (Bibliography):

1. **चतुर्वेदी, प्रमोद.** *एक राष्ट्र, एक चुनाव: एक संरचनात्मक दृष्टिकोण.* दिल्ली: ज्ञान प्रतिष्ठान, 2020.
2. **गोविंद, रंजीत.** *भारत में चुनाव प्रक्रिया और उसके प्रभाव.* मुंबई: समृद्धि पब्लिशर्स, 2019.
3. **भारत संविधान.** भारतीय संसद, 1950. [संविधान के अनुच्छेदों के विवरण को देखें]
4. **सिंह, मनोहर.** *संविधान में संशोधन और राजनीतिक सुधार.* जयपुर: विधि विज्ञान प्रकाशन, 2018.
5. **कुमार, आलोक.** *लोकतंत्र में सुधार: एक राष्ट्र, एक चुनाव की आवश्यकता.* लखनऊ: भारतीय विचार संस्था, 2021.
6. **भारत निर्वाचन आयोग.** *चुनाव प्रक्रिया और प्रशासन.* https://eci.gov.in [अंतिम 访问: 10 मई 2025].
7. **भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव: वैश्विक दृष्टिकोण.** *इंडिया टुडे* (2020), https://indiatoday.in/articles/2020 [अंतिम 访问: 10 मई 2025].
8. **सिंह, जयदीप.** *राजनीतिक स्थिरता और चुनाव प्रणाली: भारत और दुनिया में एक राष्ट्र, एक चुनाव का समग्र प्रभाव.* नई दिल्ली: नीति आयोग, 2022.
9. **रॉय, नरेश.** *संविधान संशोधन की प्रक्रियाएँ और कानूनी चुनौतियाँ.* दिल्ली: विधि और न्याय, 2019.
10. **विजय, दीपक.** *एक राष्ट्र, एक चुनाव: वैश्विक परिप्रेक्ष्य. द हिन्दू* (2021), https://thehindu.com/one-nation-one-election [अंतिम 访问: 12 मई 2025].